संख्या-877/2026/1751/22-2-2025-17(823)/2023

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 03 जुलाई, 2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी देशराज सिंह पुत्र श्री रामबक्श सिंह, जनपद-कानपुर नगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-31281/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-21.07.2025, दिनांक 05.08.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी देशराज सिंह पुत्र श्री रामबक्श सिंह (दिनांक 09.02.2024 तक 58 वर्ष 11 माह 11 दिन), जो करौली, थाना-बिधनू, जनपद-कानपुर नगर का निवासी है। भैस के दूध के पैसों के लेन-देन व जमीनी विवाद के कारण दिनांक 30.08.2004 को बंदी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कुल्हाड़ी, पेचकश व तेजाब से ननकउ, रिषू व छंगे नामक 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-105/2006, भा0द0वि0 की धारा-302/34, 506 (पार्ट-2) के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-02 कानपुर नगर, के आदेश दिनांक 19.09.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 09.02.2024 तक अपरिहार 17 वर्ष, 01 माह, 05 दिन तथा सपरिहार 21 वर्ष, 02 माह, 13 दिन की सजा भोगी गयी है।

पुलिस अधीक्षक, कानपुर आउटर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपने परिजनों से अपराध कारित कराये जाने के पर्याप्त अवसर होने, पुनः मानसिक रूप से अपराध करने में सक्षम होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत रिहाई का विरोध करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति की आख्यानुसार दिनांक 09.02.2024 तक बन्दी की 58 वर्ष 11 माह की आयु, बन्दी द्वारा कारित जघन्य अपराध (03 व्यक्तियों की हत्या) एवं पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी देशराज सिंह (बन्दी संख्या-26559) पुत्र श्री रामबक्श सिंह, जनपद-कानपुर नगर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

shasanadesh.up.gov.in

संख्या-877/2026/1751(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।

2- पुलिस अधीक्षक, कानपुर आउटर।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।